न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 06/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1— पांचाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी जाजीवाल भाटिया तहसील व जिला जोधपुर। 2— पांचाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी जाजीवाल भाटिया तहसील व जिला जोधपुर। 3— मृतक दुर्गाराम पुत्र गिरधारी राम के कायममुकाम 3/1— छोटा पत्नी स्व. दुर्गाराम 3/2—बाबुलाल पुत्र स्व.दुर्गाराम 3/3—राजेश पुत्र स्व. दुर्गाराम 3/4—बबीता पुत्री स्व.दुर्गाराम सभी जाति जाट निवासीगण जाजीवाल भाटिया तहसील व जिला जोधपुर। 4— गुटकी पत्नी पांचाराम जाट निवासी जाजीवाल भाटिया तहसील व जिला जोधपुर।		1— भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्ड अधिकारी जोधपुर जिला जोधपुर। 2— ग्राम पंचायत थबुकड़ा जरिये सरपंच तहसील व जिला जोधपुर। 3— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियाजना कार्यान्वयन ईकाई, जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested

आर्बीट्रेशन आवेदन अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 विरूद्ध जारी अवॉर्ड दिनांक

25.05.2021 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :—

दिनांक : **23.05.2022**

1. **श्री मनीष पटेल अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)**
2. **श्री लादूराम पूनीया अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष 3)**
3. **अप्रार्थीपक्ष 1 व 2 अनुपस्थित।**

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांकः NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि भारत सरकार के द्वारा जोधपुर जिले में जोधपुर रिंग रोड़ किमी. 0.000 से किमी 30.093 तक (नागौर रोड़–डांगियावास सेक्शन–2) सड़क मार्ग के निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अर्जन योग्य/अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में जिला जोधपुर के तहसील जोधपुर के ग्राम (1) सूरज बासनी (2) बावंरला (3) डांगियावास (4) घडाव (5) जाजीवाल भाटियान (6) च. कटोड़ा जाजीवाल भाटिया (7) च.वि.जाजीवाल भाटियान (8) जाजीवाल गेहलोता (9) जाजीवाल जाखड़ा (10) जाजीवाल श्रीबालाजी (11) कड़वड़ (12) लोरड़ी पंडितजी (12) रलावास (14) थबूकड़ा एवं (15) प्रतापनगर की भूमि जिसमें प्रार्थीपक्ष की ग्राम जाजीवाल भाटिया तहसील व जिला जोधपुर स्थित भूमि ख.नं. 76/14/1 व 76/17 की भूमि सम्मिलित है की धारा **3ए**, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 भारत के राजपत्र में प्रकाशन करने के पश्चात् दिनांक 01.07.2020 को स्थानीय समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) में प्रकाशन करवाया गया एवं धारा 3डी अधिसूचना दिनांक 11.12. 2020 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में होने के पश्चात् दिनांक दो स्थानीय समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका) में क्रमशः दिनांक 18.12.2020 व 17.12.2020 को प्रकाशित करवाया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आंमत्रित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा ग्राम जाजीवाल भाटिया के ख.नं. 76/14/1 व 76/17 की भूमि अवाप्त करते हुए दिनांक 25.05.2021 को अवॉर्ड पारित किया गया। प्रार्थना पत्र में आगे बतलाया कि वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत को आवेदन करने पर प्रार्थना पत्रों की जांच कर प्रार्थीगण एव अन्य को पट्टे जारी किये गये तथा अपनी पट्टासुद भूमि पर निर्माण कर निवास कर रहे है। आगे कहा कि धारा 3ए एवं 3डी की अधिसूचना में ख.नं. 76/14/1 व 76/17 की भूमि की किस्म गैरमुमकीन आबादी है तथा सार्वजनिक आपत्तियां मांगने पर प्रार्थीपक्ष–एक की ओर से दिनांक 20.07.2020 व 25.01.2021 को आपत्तियां प्रस्तुत की गई उसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा ग्राम जाजीवाल भाटिया के ख.नं. 76/14/1 व 76/17 की भूमि गैर मुमकीन आगोर मानते हुए प्रार्थीगण के मुआवजा का क्लेम अस्वीकार किया व दिनांक 25.05.2021 को अवॉर्ड पारित किया गया, उक्त अवार्ड के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका 2145/2022 पांचाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश कर प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि मुआवजा उन्हें दिलाने की इस्तदुआ की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रिट याचिका निस्तारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में यह आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (06/2022) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष–3 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनीया ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष 1 व 2 के नोटिस बाद तामील लौटे। अप्रार्थीपक्ष–3 की ओर से दिनांक 19.04.2022 को जबाब प्रस्तुत हुए जो रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अप्रार्थीपक्ष 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थीपक्ष–3 की ओर से जबाब में बतलाया कि प्रार्थना पत्र के पद–2 के जबाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक साथ उपरोक्त याचिका/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि उनके द्वारा सभी के अधिकार भिन्न भिन्न बताये गये है इस कारण उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। पद सं0–4 बाबत् उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत वर्णित होना कहा। प्रश्नगत भूमि ग्राम जाजीवाल भाटिया के ख.नं. 76 व उसके समस्त बट्टा नम्बर की भूमि गैरमुमकीन अंगोर की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा आगोर एक जलग्रहण क्षेत्र है जिसका अन्य उपयोग मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबाब में यह भी कहा कि आगोर भूमि पर पट्टे जारी करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अन्य उपयोग में परिवर्तन को वर्जित करती है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के मामले में जलागम क्षेत्र की भूमि की पूर्वस्थिति बहाल करने का आदेश पारित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested

जो सिद्धान्त इस मामले में भी पूर्णतया लागू होता है। ग्राम पंचायत से मिलकर नियम कायदे का उल्लंघन करके पट्टे बनवाये गये है जो मात्र कागजी पट्टे है तथा इनसे कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। जबाब में यह भी कहा कि भूखण्डों में निर्माण होने का तथ्य सर्वथा गलत कथन किया है जो अस्वीकार है तथा दिनांक 25.01.2021 में केवल पटिया व तारबंदी होना तथा उसमें निर्माण सामग्री डालना ही बताया गया। कोई भी ग्राम पंचायत पट्टे जारी करती है तो उसको राज. पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 141, 142 के तहत योजना तैयार कर पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनकार द्वारा अनुमोदित करने बाद नियम 143 के तहत निलामी के द्वारा की भूमि विकय करने एवं उसकी पुष्टि होने के बाद पट्टा जारी कर सकती है। प्रार्थीगण के पट्टों में उक्त कानूनी अनिवार्य प्रकिया की कोई पालना अपनाये बिना पट्टे जारी किये गये है जिससे प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है जो प्रारम्भ से ही शून्य है जिस कारण प्रार्थीगण का मुआवजा का दावा चलने योग्य नहीं है। जबाब में प्रार्थना पत्र के पेरा–7, 9, 10, 11, 12, 13 में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में लिये गये आधार ए, बी, सी, डी, ई,एफ पूर्णतय गलत बतलाये गये।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखि दस्तावेज प्रस्तुत हुए।

1– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट याचिका सं0 2145/2022 पांचाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 09.02.2022 की प्रमाणित प्रति।

2– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर को लिखा पत्रांक 79 दिनांक 25.05.2021 मय जोधपुर रिंग रोड़ किमी 0.000 से किमी 50.093 तक (नागोर रोड़–डांगियावास सेक्शन–2) सड़क मार्ग के लिए भूमि अवाप्ति का अवॉर्ड दिनांक 25..05.2021 की प्रमाणित प्रति।

3– प्रार्थी पांचाराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी जाजीवाल भाटिया के पक्ष में जारी पट्टा विलेख सं0 1, मिसल सं0 16/2004–05 की फोटो प्रति।

4– प्रार्थी नैनाराम जाट पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी जाजीवाल भाटिया के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 20, मिसल सं0 12/2004–05 की फोटो प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: Self Attested

5– दुर्गाराम पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी जाजीवाल भाटिया के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 23, मिसल सं0 107/2004–05 की फोटो प्रति।

6– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 की भारत के राजपत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति।

7— सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 11.12.2020 की भारत के राजपत्र में प्रकाशन की सूचना का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका जोधपुर के संस्करण में दिनांक 17.12.2020 को प्रकाशन की फोटो प्रति।

8—सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी सूचना दिनांक 29.06.2020 की फोटो प्रति।

9— दिनांक ..... को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रार्थी पांचाराम पुत्र गिरधारीराम द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति।

10— दिनांक .... को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रार्थीनी श्रीमती गुटकी पत्नी पांचाराम द्वारा दिया गया कथित अहस्तारित प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति।

11—ग्राम जाजीवाल भाटिया के नामान्तकरण सं0 386 बाबत् ख. नं. 76/14 की भूमि में से 25.00 बीघा भूमि ग्राम पंचायत लोरड़ी पंडितजी को कलनक्टर जोधपुर के आदेश आबादी आंवटन के आधार पर स्वीकृत किया गया, की फोटो प्रति।

12— ग्राम जाजीवाल भाटिया की जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 खाता संख्या 253 की फोटो प्रति।

13— ग्राम जाजीवाल भाटिया की जमाबदी सम्वत् 2061 से 2064 के खाता सं0 252 की फोटो प्रति।

14— ग्राम पंचायत लोरड़ी पंडितजी के कार्यवाही रजिस्टमें दिनांक 02.10.2001 को लिये गये पस्तावों की फोटो प्रति।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए।

दिनांक 09.05.2022 को प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीपक्ष—3 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम जाजीवाल भाटिया तहसील व जिला जोधपुर स्थित भूमि ख.नं. 76/14/1[illegible]6/17 की भूमि में से भारत सरकार के द्वारा जोधपुर जिले में जोधपुर रिंग रोड़ किमी. [illegible]000 से किमी 30.093 तक (नागौर रोड़—डांगियावास सेक्शन—2) सड़क मार्ग क निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अर्जन योग्य/अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में हेतु धारा **3ए**, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 भारत के राजपत्र में प्रकाशन करने

के पश्चात् दिनांक 01.07.2020 को स्थानीय समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) में प्रकाशन करवाया गया एवं **3डी** की अधिसूचना दिनांक 11.12.2020 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में होने के पश्चात् दो स्थानीय समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका) में क्रमशः दिनांक 18.12.2020 व 17.12.2020 का प्रकाशन करवाया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आंमत्रित किये गये। उक्त अवाप्ताधीन भूमि में प्रार्थीगण की भी पट्टासुद आवासीय भूमि सम्मिलित है। बहस में आगे कहा कि धारा 3ए एवं 3डी की अधिसूचना में ख.नं. 76/14/1 व 76/17 की भूमि की किस्म गैरमुमकीन आबादी बतलाया गया तथा सार्वजनिक आपत्तियां मांगने पर प्रार्थीपक्ष–एक की ओर से दिनांक 20.07.2020 व 25.01.2021 को आपत्तियां प्रस्तुत की गई उसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा ग्राम जाजीवाल भाटिया के ख.नं. 76/14/1 व 76/17 की भूमि गैर मुमकीन आगोर मानते हुए प्रार्थीगण के मुआवजा का क्लेम अस्वीकार करते हुए दिनांक 25.05.2021 को अवॉर्ड पारित किया गया, उक्त एवार्ड के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका 2145/2022 पांचाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश कर प्रार्थीगण की अवाप्तसुदा भूमि मुआवजा उन्हें दिलाने की इस्तदुआ की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रिट याचिका निस्तारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये तथा में यह आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस में आगे कहा कि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3क की अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 प्रकाशित हुई उसके कॉलम नं. 55 व 56 में ख.नं. 76 व उसके समस्त पट्टा नम्बर की भूमि आगोर नहीं होकर गैर मुमकीन बाड़ा, उप स्वास्थ्य केन्द्र व गैरमुमकीन आबादी वर्णित किया हुआ है। धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2020 को जारी हुई उसमें भी विवादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकीन बाड़ा, उप स्वास्थ्य केन्द्र व गैरमुमकीन आबादी भूमि वर्णित है। बहस में यह भी कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में भी जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश की पालना में ख.नं. 76 की भूमि में से 25 बीघा आबादी में रूपान्तरित करते हुए ग्राम पंचायत को आबंटन की गई तथा जिला कलक्टर की आदेश की अनुपालना में आबादी भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रार्थीगण ने वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत को आवेदन करने पर प्रार्थना पत्रों की जांच कर प्रार्थीगण एव अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये तथा ये पट्टे उप पंजीयक जोधपुर कार्यालय से रजिस्टर्ड करवाकर अब पट्टासुदा भूमि पर निर्माण किया व निवास कर रहे है तथा बिजली पानी के कनेक्शन भी किये गये। बहस के निरन्तर में कहा कि प्रार्थीगण को सरपंच द्वारा पट्टे जारी किये, उसका प्रमाण पत्र की फोटो भी संलग्न की है। अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जबाब में मात्र यही बतलाया कि ख.नं. 76 व उसके बट्टा भूमि आगोर भूमि है, दस्तावेजी साक्ष्य कोई पेश नहीं किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested

जबाब पेश किया गया उसमें ख.नं. 76 व उसके बट्टा नं0 भूमि आगोर की नहीं होने एवं प्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी होना स्वीकार किया है। बहस में यह भी कहा कि यदि ख.नं. 76 की भूमि पूर्णरूप से आगोर है तथा अब्दुल रहमान प्रकरण के अनुसार आगोर की भूमि में से रिंग रोड़ कैसे निकल सकती है अतः अब्दुल रहमान केस इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। बहस के अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीपक्ष–3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि ख.नं. 76 व उसके बट्टा नम्बर की भूमि की किस्म वक्त सेटलमेंट से आगोर इन्द्राज है उक्त आगोर भूमि पर पट्टे जारी करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अन्य उपयोग में परिवर्तन को वर्जित करती है प्रार्थीगण ने एक साथ उपरोक्त याचिका/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि उनके द्वारा सभी के अधिकार भिन्न भिन्न बताये गये है इस कारण उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि ग्राम जाजीवाल भाटिया के ख.नं. 76 व उसके समस्त बट्टा नम्बर की भूमि गैरमुमकीन आगोर की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा आगोर एक जलमग्न क्षेत्र है जिसका अन्य उपयोग मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के मामले में जलागम क्षेत्र की भूमि की पूर्वस्थिति बहाल करने का आदेश पारित किया गया जो सिद्धान्त इस मामले में भी पूर्णतया लागू होता है। ग्राम पंचायत से मिलकर विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करके पट्टे बनवाये गये है जो मात्र कागजी पट्टे है तथा इनसे कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। बहस के अन्त में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से ग्राम जाजीवाल भाटिया के ख.न. 76/14/1 या 76/17 राजस्व रिकॉर्ड में आबादी दर्ज होने एवं इस भूमि में से प्रार्थीगण के नाम आबादी पट्टा जारी हुआ तथा उक्त पट्टासुद भूमि के कुछ भाग पर निर्माण भी किया हुआ है, उसके उपरान्त भी विवादग्रस्त भूमि की किस्म आगोर मानते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में मुआवजा का निर्धारण नहीं करने की कानूनी भूल होना कहा है। प्रार्थीगण पांचाराम व गुटकी द्वारा धारा 3डी की अधिसूचना जारी होने के [illegible] उजरात सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश करना बताया गया। ख.नं. 76/14 रकबा 93.0[illegible] बीघा भूमि किस्म गे.मु. आगौर में से 25.00 बीघा भूमि का आबादी के लिए ग्राम पंचायत लोरड़ी पंडितजी को आंबटन किया गया तथा जिला कलक्टर के आदेश की पालना में [illegible]मान्तरकरण भी स्वीकृत किया गया, परन्तु कार्यालय स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ख.नं. 76/14 रकबा 93.07 बीघा भूमि [illegible] आगौर में से 25.00 बीघा भूमि का आबादी के लिए ग्राम पंचायत लोरड़ी पंडितजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested

को आंबटन किया गया तथा जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक/प.–12(3–92) राज/आर. आंब/आबा.प्रगाकेसं/01/945 दिनांक 17.01.2002 की पालना में नामान्तरकरण भी स्वीकृत किया गया, उसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पीटिशन सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेंफरेस प्रकरण अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन होना पाया गया अतः विवादित भूमि की विधिक स्थिति को लेकर प्रकरण विचाराधीन है अतः ऐसी स्थिति मे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा भूमि अवाप्ति का अवॉर्ड पारित करते समय ग्राम जाजीवाल भाटिया के खनं. 76 व उसके बट्टा नम्बर भूमि की किस्म पूर्व में गे.मु. आगोर दर्ज होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पीटिशन सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त की अनुपालना में इस स्टेज पर उक्त खसरे को मुआवजा अवार्ड में सामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अधिनियम की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार– The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
(b) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;
(c) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;
(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवॉर्ड आदेश 25.05.2021 में यह भी स्टष्ट किया गया कि अवाप्ताधीन भूमि में स्थित संरचनाओं व वृक्षों का मूल्यांकन करवाकर पृथक से अवॉर्ड जारी किया जायेगा। अतः प्रार्थीगण के कथनानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ख.नं. 76/14/1 या 76/17 की आबादी भूमि पर आवासीय पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् उस पर निर्माण किया

गया, विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी संरचनाओं का मूल्यांकन करवाकर शीघ्र मुआवजा का निर्धारण करेगा।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से जबाब में यह आपत्ति भी है कि प्रार्थीगण के पक्ष में कथित आवासीय पट्टे जारी किये गये वो पट्टों में कानूनी अनिवार्य प्रक्रिया की कोई पालना अपनाये बिना जारी किये गये है जिससे प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 141, 142 तहत आवासीय योजना तैयार कर पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनकार द्वारा अनुमोदित करने पश्चात् नियम 143 के तहत निलामी के द्वारा ही विक्रय करने एवं उसकी पुष्टि होने के पश्चात् पट्टे जारी कर सकती है। यद्यपि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी कथित आवासीय पट्टे विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किये गये या नहीं, इसकी जांच आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र में नहीं की जा सकती, परन्तु विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पक्ष में विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पट्टे जारी किये, इसकी पुष्टि प्रार्थीपक्ष द्वारा भी नहीं करवाया गया अतः ऐसी स्थिति में मात्र सरपंच द्वारा जारी कथित पट्टो के आधार पर प्रार्थीगण का हक अधिकार नहीं देखा जा सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्या वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:17 IST
Reason: SelfAttested